चित्रकूट-पुलिस

(1). "मिशन शक्ति फेज-5.0: का द्वितीय चरण महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल — जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा "मिशन शक्ति फेज-5.0 के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, वार्डों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में सामाजिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केन्द्र पुलिस टीम द्वारा आपसी परिवारिक झगड़े को समाप्त कराकर परिवार में सुलह कराते हुए परिवार को टूटने से बचाया।

आवेदिका अर्पणा मिश्रा पुत्री धीरेन्द्र कुमार मिश्रा निवासी कर्वी जनपद चित्रकूट ने अपने पति संतोष कुमार सहित अपने ससुरालीजनों के विरूद्ध मारपीट,लड़ाई-झगड़ा एवं दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया गया था। पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा प्रार्थना-पत्र के निस्तारण हेतु प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र को निर्देशित किया गया था। परिवार परामर्श केन्द्र टीम महिला मुख्य आरक्षी रजनी सिंह,महिला आरक्षी सोनिका द्विवेदी एवं पुलिस काउन्सलर सुरेशचन्द्र जायसवाल द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायतों को विस्तारपूर्वक सुनकर समझकर द्वितीय पक्ष से सम्पर्क करके उन्हें पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केंद्र बुलाया गया तथा दोनों पक्षों को समझाया गया। दोनों पक्षों द्वारा भविष्य में आपस में पारिवारिक सामजस्य बनाकर रहने तथा कर्तव्यों का सही से पालन करने की बात कही गयी। आपसी सुलह होने पर दम्पत्ति जोड़ो को एक दूसरे के साथ-साथ आपस में सामन्जस्य बिठाकर एवं परिवारिक दायित्यों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी।

<u>समझौता कराने वाली टीमः-</u>

1.महिला मुख्य आरक्षी रजनी सिंह
2.महिला आरक्षी सोनिका द्विवेदी
3.पुलिस काउन्सलर सुरेशचन्द्र जायसवाल

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यपाल सिंह के पर्यवेक्षण में थाना साइबर क्राइम की पुलिस टीम निरीक्षक श्री नरेश कुमार प्रजापति,क0आ0 ग्रेड बी श्याम लाल गुप्ता, आरक्षी रामविलास यादव, आरक्षी शिवम द्विवेदी द्वारा तृतीय मुखारबिन्द कामदगिरि परिक्रमा मार्ग में साइबर जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें परिक्रमा करने वाले श्रद्धालुओं एवं आस- पास उपस्थित आम जनमानस को साइबर अपराध से बचाव हेतु जानकारी दी गयी। जानकारी निम्नवत है।

•किसी भी अनजान व्यक्ति को अपना अकाउंट विवरण व एटीएम कार्ड नम्बर व पिन नम्बर सी0वी0वी0 तथा ओटीपी नम्बर न बताये।

•एटीएम हमेशा अकेले प्रयोग करे व किसी अनजान व्यक्ति की मदद न लें।

•डिजिटल अरेस्ट के सम्बन्ध में जागरुक किया गया।

•अपनी व्यक्तिगत जानकारी किसी अनजान व्यक्ति को फोन, ई-मेल, एस0एम0एस0, फेसबुक, व्हाट्सएप पर कभी भी न दें।

•बोनस प्वाइंट, रिवार्ड प्वाइंट, दीपावली ऑफर, कैशबैक, के0बी0सी0 आदि लुभावने ऑफर के लालच में अपना बैंक डिटेल फोन पर शेयर न करें।

•किसी प्रकार का रिमोट एप्स जैसे टीमविवर, ऐनी डेक्स आदि किसी के कहने पर मोबाइल में इनस्टॉल न करें।

•टेलीग्राम के माध्यम से विभिन्न ग्रुप में ट्रेडिंग के लिये लिंक के माध्यम से भेजे गये ऐप को डाउनलोड कर गेमिंग के माध्यम से पैसे इन्वेस्ट कर लाभ कमाने जैसे फ्राड के बारे में जागरुक किया गया।

•कम समय में पैसा डबल करने, क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कर ज्यादा रिटर्न मिलने जैसे लुभावने स्कीम के लालच में न आयें।

•फेसबुक, इस्टाग्राम, ब्लॉग, ट्विटर चैट रूम आदि जैसे किसी भी ऑनलाइन प्लेटफार्म सोशल नेटवर्किंग साइटस पर अपनी निजी जानकारी जैसे घर का पता, फोन नम्बर, जन्मतिथि और जन्म स्थान आदि तथा वर्तमान लोकेशन कभी भी शेयर न करें।

• पुलिस/साइबर अधिकारी के नाम की काल आने पर आपके बच्चे के द्वारा बलात्कार, किडनैपिंग का केस बता कर या आपके द्वारा पोर्न विडियों देखने का आरोप लगाकर आपसे पैसे की मांग की जाये तो बिलकुल न घबराये, और न ही कोई पैसे भेजें।
• साइबर अपराध की घटना होने पर टोल फ्री नं0 1930 पर तुरन्त कॉल करें। इसके पश्चात नजदीकी पुलिस स्टेशन और www.cybercrime.gov.in पर भी रिपोर्ट करने हेतु बताया गया।

(4).पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में थानाध्यक्ष पहाड़ी श्री प्रवीण कुमार सिंह एवं पैरोकार आरक्षी आकाश कुमार, प्रभारी मानिटरिंग सेल श्री प्रभुनाथ यादव उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्री सुशील कुमार सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट चित्रकूट द्वारा आज दिनाँक 01.04.2026 को पैरवी हेतु मुख्यालय से चिन्हित थाना मानिकुपर में पंजीकृत मु0अ0सं0 129/2021 धारा 376,452,506 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त राजू उर्फ समशुद्दीन पुत्र साहिबा उर्फ साहबुद्दीन निवासी दुबारी थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को 10 वर्ष का कारावास व 16,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

<u>घटना का संक्षिप्त विवरण-</u>

उल्लेखनीय है कि दिनांक 11.09.2021 को एक वादिया द्वारा थाना पहाड़ी पर सूचना दी गई कि अभियुक्त राजू उर्फ समसुद्दीन उपरोक्त द्वारा वादिया के घर में घुसकर वादिया के साथ दुष्कर्म करना तथा विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देना। इस सूचना पर थाना पहाड़ी में मु0अ0सं0 129/2021 धारा 376,452,506 भादवि0 बनाम राजू उर्फ समसुद्दीन उपरोक्त पंजीकृत किया गया था। जिसकी विवेचना तत्कालीन उ0नि0 श्री तपेश मिश्रा द्वारा सम्पादित की गई विवेचना के क्रम में पीडिंता के बयान व साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोपी को दिनांक 15.09.2021 को गिरफ्तार किया गया तथा दिनांक 03.12.2021 को आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।

(5).पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री निशिकान्त राय एवं पैरोकार मुख्य आरक्षी अजय कुमार एवं मॉनिटरिंग सेल प्रभारी श्री प्रभुनाथ यादव द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता चित्रकूट श्री गोपाल दास द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट चित्रकूट द्वारा पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना मानिकपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 90/2012 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के आरोपी अभियुक्त राजकुमार कोल पुत्र सूरजबली कोल निवासी मिश्रा पुरवा एन0टी0पी0सी0 शंकरगढ़ थाना शंकरगढ़ जनपद प्रयागराज को 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 3000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

(6).पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी मऊ श्री फहद अली के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री श्रीप्रकाश यादव के मार्गदर्शन में अपराध निरीक्षक श्री अंजनी कुमार सिंह एवं उनकी टीम द्वारा मु0अं0सं0 379/2025 धारा 318(4),319(2),338,336(2),340 भादवि0 के वांछित अभियुक्त 1.पवन चौधरी उम्र करीब 31 वर्ष पुत्र कैलाश चौधरी

निवासी ग्राम सुरवल सैनी थाना शंकरगढ़ जनपद प्रयागराज स्थायी पता ग्राम कमड़ाडीह थाना सलखुवा जिला सहसा बिहार 2. बाबूलाल उर्फ दरोगा पुत्र किन्नालाल निवासी ग्राम गीज जारी थाना बारा जनपद प्रयागराज 3.माला पत्नी मेवालाल निवासी ग्राम सुरवल सैनी थाना शंकरगढ़ जनपद प्रयागराज को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1.अपराध निरीक्षक श्री अंजनी कुमार सिंह

2.उ0नि0 श्री मुन्नीलाल

3.म0आ0 शिखा